उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-30/2639/26-1-2014-5(3)2012टीसी

लखनऊ : दिनांक : 22 अगस्त, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

श्री उमेश द्विवेदी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरेली द्वारा निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश संख्या-सी0-337/स0क0/स्था0-1/सा0स्थाना0/2014-15, दिनांक 30-06-2014 द्वारा जनपद बरेली से जनपद बलरामपुर किये गये स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश का अनुपालन न किये जाने, उच्चादेशों की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता बरतने आदि के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा श्री उमेश द्विवेदी को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाती है।

2- निलम्बन की अवधि में श्री उमेश द्विवेदी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2-4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मॅहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मॅहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मॅहगाई भत्ता अथवा मॅहगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था, निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जबकि श्री उमेश द्विवेदी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

4- श्री उमेश द्विवेदी निलम्बन अवधि में निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

के0राम मोहन राव

सचिव।

पृ0सं0-30/2639(1)/26-1-2014--तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को निलम्बन आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया श्री उमेश द्विवेदी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरेली को निलम्बन आदेश की प्रति तामील कराकर स्पष्ट हस्ताक्षर व दिनांक सहित तामीली की सूचना एवं श्री द्विवेदी के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप पत्र गठित कर मय साक्ष्यों सहित शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बरेली।

4- संबंधित अधिकारी।

5- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)

अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in